

- आदेश :-

उपरोक्त पार्टीओं ने मेरे समक्ष उपरिष्ठा लेकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु राहगति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी राहगति प्रस्तुत की गई है। उक्त दुरस्ती बरखुत: लिखितगत त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर राहगति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अत: निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					स्वीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
घाम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खराबा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खराबा संख्या	रकबा
के. सुब	4	गुलाम एमनेन	99	2.48	गुलाम एमनेन	99	2.48
		कुर्तु हुसैन खॉ	122	1.04	कुर्तु हुसैन खॉ		
		नाम-कायमाबादी/ ला-उह			नाम-कायमाबादी/ ला-उह	122	1.04


शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :- 920

दिनांक :- 16/11/21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर


शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटथार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर